न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :— 02/2021 (2021/23)

प्रार्थी

देवीसिंह पुत्र खींवसिंह, जाति राजपूत, उम्र 32 वर्ष, निवासी बडला नगर, झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. उगमसिंह पुत्र मेघसिंह, जाति राजपूत, निवासी राहड़ो की ढाणी, झंवर, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत झंवर तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 55 मिसल संख्या 55/2007 जो दिनांक 05.09.2007 को ग्राम पंचायत झंवर द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री गजेन्द्रसिंह राठौड़ (प्रार्थी)।
2. अप्रार्थी संख्या 01 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

आदेश दिनांक :—12.04.2023

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 55 मिसल संख्या 55/2007 जो दिनांक 05.09.2007 को ग्राम पंचायत झंवर द्वारा जारी किया गया को, निरस्त करने बाबत प्रस्तुत की गई। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता खींवसिंह का पैतृक पुश्तैनी रहवासीय कब्जा सुदा आबादी भूमि की एक जायदाद वाके ग्राम बडला नगर राहडो की ढाणी ग्राम पंचायत झंवर (वर्तमान ग्राम पंचायत बडलानगर) तहसील लूणी जिला जोधपुर में आई हुई है। जिस पर खींवसिंह का अपने पूर्वजों के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। खींवसिंह का स्वर्गवास लगभग 2 वर्ष पूर्व हो गया [illegible] खींवसिंह का पुत्र है जो लगभग 20 वर्षों से कर्नाटक में रहता है। [illegible] के पति उगमसिंह के मध्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:09 IST
Reason: SelfAttested

मधुर सम्बन्ध थे इस कारण खींवसिंह की आबादी भूमि में स्थित दुकान पर अप्रार्थी बैठता था। खींवसिंह के देहान्त होने के बाद प्रार्थी कर्नाटक चला गया तथा अप्रार्थी उपरोक्त जायदाद की देखरेख करता था। हाल ही में प्रार्थी अपने गांव आया एवं उपरोक्त जायदाद पर नया निर्माण करने की योजना बनाने लगा तब अप्रार्थी ने विरोध करना शुरू किया। अप्रार्थी ने उपरोक्त जायदाद का पट्टा बनाने का कहने लगा तो प्रार्थी को पता चला कि अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के कर्मचारियों से सांठगांठ कर निगरानीधीन पट्टा बनवा लिया है जिससे व्यथित होकर निगरानी पेश की है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। तत्कालीन ग्राम पंचायत झंवर व वर्तमान ग्राम पंचायत बड़लानगर से रिकॉर्ड तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत झंवर ने अपने पत्र क्रमांक 15 दिनांक 11.04.2022 के द्वारा अवगत कराया कि ग्राम पंचायत झंवर के रिकॉर्ड अनुसार पट्टा संख्या 55 मिसल संख्या 55/2007 जारी दिनांक 05.09.2007 प्रार्थी उगमसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत के नाम जारी नहीं किया गया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बड़लानगर ने लिखित में अवगत कराया कि पट्टा संख्या 55 मिसल संख्या 55/2007 जारी दिनांक 05.09.2007 जो ग्राम पंचायत झंवर द्वारा जारी किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत बड़लानगर को चार्ज हस्तान्तरण के समय उपर्युक्त रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही मुझे चार्ज में प्राप्त हुआ। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस दिनांक 10.04.2023 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि निगरानीधीन पट्टा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना किसी निरीक्षण कमेटी के जांच किये जारी किया गया। जिस जायदाद का पट्टा जारी किया गया उस पर प्रार्थी का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व कब्जा संबंधी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई।

प्रार्थी ने बहस में आगे बतलाया कि ग्राम पंचायत में निगरानीधीन पट्टा बाबत् किसी प्रकार की कोई मिसल संधारित नहीं की गई। अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करने हेतु किसी प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्तियां जारी नहीं की गई। अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:09 IST
Reason: SelfAttested

उगम सिंह का उपरोक्त भू–भाग से कोई सरोकार नहीं है फिर भी अप्रार्थी ने कूटरचित पट्टा जारी करवा लिया जो निरस्त योग्य है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि हस्तगत प्रकरण में तत्कालीन ग्राम पंचायत झंवर ने स्पष्ट बतलाया गया कि निगरानीधीन पट्टा ग्राम पंचायत झंवर द्वारा जारी नहीं किया गया है और वर्तमान ग्राम पंचायत बड़लानगर ने भी अवगत कराया कि निगरानीधीन पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत झंवर द्वारा चार्ज में नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया। प्रार्थी ने भी बतलाया कि जिस जायदाद का पट्टा जारी किया गया है उक्त जायदाद प्रार्थी की पुश्तैनी जायदाद है। अप्रार्थी संख्या 01 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। अतः निगरानीधीन पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की पंचायत निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 01 श्रीमती उगमसिंह पुत्र मेघसिंह, जाति राजपूत, निवासी राहड़ो की ढाणी, झंवर, जिला जोधपुर को जारी पट्टा संख्या 55 मिसल संख्या 55/2007 जारी दिनांक 05.09.2007 को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत बडलानगर व ग्राम पंचायत झंवर को प्रेषित हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 12.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:09 IST
Reason: SelfAttested